न्यायमूर्ति जितेंद्र चौहान के समक्ष

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को.लिमिटेड-अपीलकर्ता

बनाम

राज रानी और अन्य- प्रतिवादी

एफएओ संख्या 2148/2011

फ़रवरी 13, 2014

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - दावेदारों, विधवा मां और मृतक की अविवाहित बहन जो कुंवारे थे, को मुआवजा दिया गया, जिसकी गणना 1/3 कटौती के आधार पर की गई और मृतक की आयु के आधार पर गुणक लगाया गया - अपील में बीमा कंपनी ने तर्क दिया, कि कटौती और गुणक का आवेदन गलत था, यह देखते हुए कि मृतक अविवाहित था - बीमा कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि भले ही मृतक अविवाहित था, गुणक की गणना मृतक की आयु पर की जानी चाहिए, न कि दावेदारों की उम्र पर - 1/3 की सीमा तक कटौती को भी बरकरार रखा गया -बीमा कंपनी की अपील खारिज।

अभिनिर्धारित किया कि, जहां तक कटौती के बिंदु का संबंध है, इस न्यायालय को लगता है कि श्रीमती सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में माननीय न्यायालय द्वारा आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर इसे 1/3 की सीमा तक सही तरीके से लागू किया गया है, जिसमें, यह साबित हो गया है कि जहां दावेदारों में विधवा मां शामिल है, कटौती 1/3 होगी। जहां तक गुणक का संबंध है, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2012 (4) आरसीआर (सिविल) 343 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर कोई अभियुक्त नहीं है, जिसमें, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि भले ही मृतक अविवाहित था, गुणक को मृतक की आयु को देखते हुए लागू किया जाना चाहिए, न कि दावेदारों को।

(अनुच्छेद 5)

नितिन मित्तल, अधिवक्ता, सुभाष गोयल, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

पंकज मेहता, अधिवक्ता, क्रॉस-आपत्तिकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए।

अजय गुलाटी, डीएजी, हरियाणा, श्री कुणाल गर्ग, एएजी, हरियाणा।

न्यायमूर्ति जितेंद्र चौहान (मौखिक)

1. वर्तमान अपील अपीलकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई है, जिसमें मोटर दुर्घटना

दावा न्यायाधिकरण, हिसार (संक्षेप में, "ट्रिब्यूनल") द्वारा पारित दिनांक 02.12.2010 के आक्षेपित अवार्ड को चुनौती दी गई है। मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए दावेदारों द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन दायर किए गए हैं।

2. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा 1/3 की सीमा तक की गई कटौती श्रीमती सरला वर्मा बनाम डीटीसी[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है, क्योंकि मृतक कुंवारा था। गुणक को मृतक की आयु के आधार पर भी लागू किया जाता है, जो अस्थिर है। उन्होंने आगे कहा कि आय के किसी भी सबूत के अभाव में, मृतक को अकुशल मजदूर के रूप में नहीं रखा जा सकता था।

3. दूसरी ओर, क्रॉस-आपत्तिकर्ता/दावेदारों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि कटौती और गुणक को सही तरीके से लागू किया गया है क्योंकि दावेदार विधवा मां और मृतक की अविवाहित बहन हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा मूल्यांकन किया गया मुआवजा कम पक्ष पर है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

5. जहां तक कटौती के बिंदु का संबंध है, इस न्यायालय को लगता है कि श्रीमती सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर 1/3 की सीमा तक इसे सही तरीके से लागू किया गया है, जिसमें, यह साबित हो गया है कि जहां दावेदारों में विधवा मां शामिल है, कटौती 1/3 होगी। जहां तक गुणक का संबंध है, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2012 (4) आरसीआर (सिविल) 343 में निर्धारित कानून के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है, जिसमें, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि भले ही मृतक अविवाहित था, गुणक को मृतक की आयु को देखते हुए लागू किया जाना चाहिए, न कि दावेदारों को।

6. मृतक मैट्रिक पास था। यह विशेष रूप से गवाही में आया है कि मृतक परिवार का

[1] (2009) 6 एससीसी 121.

एकमात्र कमाने वाला था और डेयरी व्यवसाय में लगा हुआ था। अन्यथा भी, साक्ष्य में आय का कोई अन्य स्रोत नहीं आया है, इसलिए, पिता की अनुपस्थिति में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उसकी योग्यता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह डेयरी फार्मिंग में लगा हुआ था, मृतक को एक अकुशल मजदूर के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उसे एक कुशल श्रमिक माना जाता है और मृतक की मासिक आय के लिए 500/- रुपये की अन्य राशि बढ़ा दी जाती है। राजेश बनाम राजबीर सिंह और अन्य[2] के मामले में फैसले के मद्देनजर भविष्य की संभावनाओं के कारण 50% की वृद्धि का आदेश दिया गया है। इस तरह, शीर्ष के लिए मुआवजे की राशि, "निर्भरता की हानि" 5,000/- रुपये + 50% X 2/3 X 12 X 18 = 10,80,000/- रुपये होगी, जबकि ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई 6,48,000/- रुपये की राशि थी। अंत्येष्टि व्यय और परिवहन व्यय के लिए दी जाने वाली 5,000/- रुपए की राशि को बढ़ाकर 25,000/- रुपए कर दिया गया है। दावेदार मां भी 'प्यार और स्नेह की हानि' के कारण 1,00,000/- रुपये की राशि की हकदार होगी।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, दावाकर्ता-अपीलकर्ताओं को 5,52,000/- रुपये [4,32,000/- रुपये (निर्भरता की हानि के लिए वृद्धि) + 20,000/- रुपये (अंतिम संस्कार और परिवहन व्यय के लिए वृद्धि) + 1,00,000/- रुपये (मृतक की मां को प्यार और स्नेह की हानि के लिए)], विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पहले से दी गई राशि के ऊपर और ऊपर 5,52,000/- रुपये (निर्भरता की हानि के लिए वृद्धि) + 20,000/- रुपये (अंतिम संस्कार और परिवहन व्यय के लिए वृद्धि) के बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं। जो इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर देय होगा, जिसमें विफल रहने पर, वे वर्तमान अपील दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक @ 7.5% प्रति वर्ष ब्याज के हकदार होंगे।

8. आक्षेपित पंचाट में उपर्युक्त संशोधन के साथ, 2011 का राव सं 2148 खारिज किया जाता है, जबकि 2011 की क्रॉस आपत्तियां संख्या 38- सीआईआई को आंशिक रूप से

[2] (2013) 9 एससीसी 54.

अनुमति दी जाती है।

9. इस अपील को दायर करने के समय जमा की गई वैधानिक राशि को प्रतिपूर्ति के लिए विद्वान न्यायाधिकरण के निपटान में रखा जाए।

पी.एस. बाजवाअस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा